

निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान

क्रमांक: एफ 1(190)संस्थापन/असमावि/स्थानान्तरण/2021/13837 जयपुर, दिनांक: 22/02/2024

आदेश

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.02.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से राज्य हित में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से किया जाता है-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कहाँ से	कहाँ को	विशेष विवरण
1	श्री खेमचन्द शर्मा	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, झालावाड	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, भरतपुर	श्रीमती राखी शर्मा के स्थान पर


नोट- उक्त अधिकारी को यात्रा भत्ता नियमानुसार देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(नलिनी कठोतिया)  
निदेशक

क्रमांक: एफ 1(190)संस्थापन/असमावि/स्थानान्तरण/2021/13838-50 जयपुर, दिनांक: 22/02/2024  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान।
2. निजी सहायक, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
4. निजी सहायक, उपशासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान।
5. संबंधित जिला कलक्टर।
6. उपशासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा।
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, (समस्त संबंधित) राजस्थान।
10. उपनिदेशक- प्रथम/द्वितीय/पीएमजेवीके, कार्यालय हाजा।
11. सहायक निदेशक प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ कार्यालय हाजा।
12. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, झालावाड/भरतपुर/धौलपुर को पालनार्थ।
13. प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा।
14. रक्षित पत्रावली।

  
(सुशील कुमार)  
सहायक निदेशक-द्वितीय